भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4075
उत्तर दिनांक 12/08/2026 को दिया गया

शांति अधिनियम, 2025

4075. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) शांति अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों की स्थिति क्या है और प्रदान किए गए निजी लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है और रिएक्टर के प्रकार क्या हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास परमाणु परियोजनाओं के संबंध में निर्माण में देरी और लागत वृद्धि की जाँच और निगरानी हेतु कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण/प्रचालन आरंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमा और निजी संचालकों द्वारा अनुपालन न करने पर लगाए जाने वाले दंड का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शांति अधिनियम, 2025 के अंतर्गत परमाणु-संबंधित जानकारी को आरटीआई के दायरे से बाहर करने के क्या तार्किक आधार हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में शांति अधिनियम के अंतर्गत बनाए जाने वाले नियम, मसौदा के चरण में हैं। विधायी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत अधिसूचित किए जाएंगे। उसके पश्चात निजी पक्षों से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(ख) व (ग) सरकार नाभिकीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रगति की नियमित रूप से जांच और मॉनीटर करती है जिससे निर्माण में विलंब और लागत वृद्धि से बचा जा सके।

(घ) शांति अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि वह सूचना जिसे "प्रतिबंधित सूचना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ऐसी सूचना का प्रकटन जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है, उसे प्रकटन से छूट प्राप्त है। ये प्रावधान आरटीआई अधिनियम के अनुरूप हैं। इसके अलावा, शांति अधिनियम में नियामक परिषद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह प्रतिबंधित सूचना का प्रकटन किए बिना नाभिकीय संरक्षा से संबंधित मामले पर योजनाबद्ध जन संपर्क कार्यक्रम और हितधारकों के साथ संवाद एवं सहभागिता के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

*****